न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/रीडर–जि.दण्डा./16206/2024 कोरबा, दिनांक 14/11/2024

प्रति,

किशन दिनकर पिता रामचरण दिनकर,
उम्र–26 वर्ष, साकिन–परसाभांठा, वार्ड नंबर–41
बालको, थाना बालको नगर, जिला–कोरबा (छ0ग0)

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–3 एवं 5 के तहत् इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक **20240305040004/2024** में पारित आदेश दिनांक **14/11/2024** अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि आप **24 घंटे** के अन्दर जिला–कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले क्षेत्र से **एक वर्ष की अवधि** के लिए बाहर चले जावे और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति के इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है।

इस आदेश का तत्काल पालन किया जावे, पालन न करने पर आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक/रीडर–जि.दण्डा./16207/2024 कोरबा, दिनांक 14/11/2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, कोरबा (छ0ग0) उक्त आदेश की तामिली अनावेदक को तत्काल कराया जाकर पालन प्रतिवेदन सहित तामिली रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाये जाने हेतु अग्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. जिला अभियोजन अधिकारी, कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. उप संचालक, जनसंपर्क, जिला–कोरबा (छ0ग0) को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छ0ग0)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छत्तीसगढ़)

दा0प्र0क्रं0–202403050400004 / 2024
(छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990
की धारा 3 एवं 5 के तहत्)

छ0ग0 शासन
द्वारा–पुलिस अधीक्षक कोरबा
जिला–कोरबा (छ0ग0)

..............................आवेदक

विरूद्ध

किशन दिनकर पिता रामचरण दिनकर,
उम्र–26 वर्ष, साकिन–परसाभांठा वार्ड नंबर–41 बालको,
थाना–बालको नगर, जिला–कोरबा (छ0ग0)

..........................अनावेदक

/ / आदेश / /

(पारित दिनांक.14../..11.../2024)

(1) पुलिस अधीक्षक कोरबा (छ0ग0) के पत्र क्रमांक / पु.अ. / कोरबा / रीडर–1 / जि.ब. / 01 / 2024 दिनांक 26 / 02 / 2024 द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–03, 05 के तहत् प्रतिवेदन पेश करने पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

(2) पुलिस अधीक्षक जिला–कोरबा (छ0ग0) के प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक किशन दिनकर पिता रामशरण दिनकर, उम्र–20 साल, निवासी परसाठा वार्ड क्रमांक 41 बालकोनगर थाना–बालको नगर जिला–कोरबा (छ0ग0) का निवासी है, अनावेदक पूर्व में बालको प्लांट में रोजी मजदूरी का काम करता था, जो बचपन से ही लड़ाई झगड़ा करने का आदि है। बालको प्लांट से काम छोड़ने के बाद क्षेत्र में अपने साथी वी. भावना एवं अन्य के साथ वर्ष 2014 से अब तक सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध के अपराधों में शरीक रहा है, तथा अपराधिक अभित्रास से दण्डनीय अपराधों में संलिप्त रहा है। अनावेदक शराब पीना, गांजा पीना, मारपीट करना जैसे सामाजिक बुराई में भी संलिप्त रहा हैं। अनावेदक के विरूद्ध कई बार शांति भंग होने के अंदेशा पर प्रतिबंधक कार्यवाही भी की गई है एवं आरोपी के विरूद्ध लगातार भादवि के धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर चालानी कार्यवाही की जाकर न्यायालय प्रस्तुत की गई है, जो वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में लंबित है। अनावेदक के कृत्यों में आम जीवन पर प्रतिकुल असर पड़ने लगा है, लिहाजा इसके विरूद्ध धारा–110 जा.फौ. की कार्यवाही भी की गई है, किन्तु इसके आचारण में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा रहा है। अनावेदक आम जनता को डराने, धमकाने, मारपीट करने, दादागिरी करने एवं डर एवं भय का वातावरण निर्मित करने लगा तथा पीड़ित पक्ष

क्रमशः–02

इससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझने लगे तथा इसके विरूद्ध खुले आम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए रजामंद नहीं है। अनावेदक के कृत्यों से लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकुल असर पड़ रहा है। समाज में इसके कृत्यों से भय एवं आतंक का वातावरण बना हुआ है, प्रतिबंधक धाराओं के तहत् कार्यवाहियां उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु की गई है किन्तु अनावेदक अपराधिक गतिविधियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और वह आवाध गति से अपने भय तथा आतंक की गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं, पुनः अनावेदक को प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए आवश्यक हो गया है कि अनावेदक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 के प्रावधानों के अनुसार इसे कोरबा जिला के सीमा से बाहर जिला बदर किया जाना आवश्यक है।

(3) **अनावेदक के विरूद्ध की गई अपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैः–**

(1) **अपराध क्रमांक 59/2014 धारा–294, 323, 506 भादवि–** प्रार्थी श्रीमती धरमीन बंजारे पति गिरीश बंजारे उम्र–26 साल साकिन–परसाभांठा थाना बालकोनगर के रिपोर्ट पर अनावेदक किशन दिनकर के विरूद्ध दिनांक 16.02.2014 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया के दौरान आरोपी को दिनांक 17.02.2014 को गिरफ्तार कर मामले में विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र क्रमांक 25/2014 दिनांक 18.02.2024 को तैयार की जाकर अभियोग पत्र माननीय किशोर न्याय बोर्ड कोरबा में प्रस्तुत किया गया है। जिसका केश नंबर 23/14 दिनांक 19.02.2024 है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) **अपराध क्रमांक 78/2016 धारा–323,34 भादवि–** प्रार्थी धरमवीर यादव पिता मुकुन्द राम यादव उम्र–39 साल, साकिन–कांजी हाउस परसाभाठा बालको नगर के रिपोर्ट पर दिनांक 20.03.2016 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपीगणों को दिनांक 28.03.2016 को गिरफ्तार कर मामले में विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र क्रमांक 85/2016 दिनांक 30.04.2016 को तैयार की जाकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय कोरबा में प्रस्तुत किया गया है, जिसका केश नंबर 2223/2016 दिनांक 17.10.2016 है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) **अपराध क्रमांक 186/2016 धारा–457,380,34 भादवि –** प्रार्थी दीपक भाद पिता शिवाजी भाद उम्र–35 साल साकिन–राजकुमार विशेल का मकान परसाभांठा बालकोनगर के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 186/2016 कायम कर विवेचना के दौरान आरोपीगणों को दिनांक 28.06.2016 को गिरफ्तार कर मामले में विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र क्रमांक 151/2016 दिनांक

क्रमशः–03

16.07.2016 को तैयार की जाकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय कोरबा में प्रस्तुत किया गया है। जिसका केशन नंबर 1556/2016 दिनांक 26.07.2016 है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) **अपराध क्रमांक 322/2016 धारा–452, 354, 294, 323, 506 भादवि**– प्रार्थियां श्रीमती संध्या रात्रे पति राम रात्रे उम्र–32 वर्ष साकिन–परसाभांठा बालको नगर के रिपोर्ट पर दिनांक 18.12.2016 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, विवेचना दौरान आरोपी को दिनांक 29.12.2016 को गिरफ्तार कर मामले में विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र क्रमांक 03/2017 दिनांक 11.01.2017 तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जिसका केश नंबर 519/2017 दिनांक 06.04.2017 है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(5) **अपराध क्रमांक 219/2017 धारा–363, 366, 376 भादवि 04 पास्को एक्ट**–प्रार्थी राजेन्द्र कुमार डिस्पाट पिता राम लाल डिस्पाट उम्र–39 वर्ष, साकिन–परसाभांठा बालको नगर के रिपोर्ट पर दिनांक 30.08.2017 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, विवेचना दौरान आरोपी को दिनांक 01.09.2017 को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र क्रमांक 243/2017 दिनांक 19.11.2017 को तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जिसका केश नंबर 28/17 दिनांक 24.11.2017 है, मामला न्यायालय विचाराधीन है।

(6) **अपराध क्रमांक 146/2017 धारा–294, 323, 34 भादवि**– प्रार्थी शनि ठाकुर पिता गोकुल ठाकुर उम्र–22 वर्ष निवासी बरगद चौक भदरापारा की रिपोर्ट पर दिनांक 18.06.2017 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, विवेचना दौरान दिनांक 25.07.2017 को आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र क्रमांक 161/2017 दिनांक 11.08.2017 को तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जिसका केश नंबर 1303/17 दिनांक 11.09.2017 है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(7) **अपराध क्रमांक 05/2019 धारा–394 भादवि**– प्रार्थी इरफान खान पिता कुतुबुद्धीन खान साकिन–आर.के.ट्रांसपोर्ट कोरबा कि रिपोर्ट पर दिनांक 04.01.2019 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, विवेचना दौरान दिनांक 06.01.2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र क्रमांक 13/2019 दिनांक 06.02.2019 को तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जिसका केश नंबर 447/19 दिनांक 15.02.2019 है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

क्रमशः–04

(8) **अपराध क्रमांक 313/2021 धारा–4क जुआ एक्ट**– प्रार्थी शासन की ओर से निरीक्षक राकेश मिश्रा, थाना प्रभारी थाना बालको नगर की ओर से दिनांक 09.07.2021 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, विवेचना दौरान दिनांक 09.07.2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र क्रमांक 244/2021 दिनांक 15.07.2021 को तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जिसका केश नंबर 142/21 दिनांक 30.07.2021 है, मामला में आरोपी को 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

(9) **अपराध क्रमांक 512/2021 धारा–294, 323, 34 भादवि**– प्रार्थी मोहम्मद शब्बीर पिता मो0 इसराफिल खान उम्र–33 वर्ष साकिन–नेहरू नगर थाना बालको नगर कि रिपोर्ट पर दिनांक 03.10.2021 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, विवेचना दौरान दिनांक 24.10.2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण होने का अभियोग पत्र क्रमांक 546/2021 दिनांक 04.12.2021 को तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जिसका केश नंबर 3574/2021 दिनांक 08.12.2021 है, मामला न्यायालय विचाराधीन है।

(10) **अपराध क्रमांक 258/2022 धारा–294, 323, 34 भादवि**– प्रार्थी वी. भावना पिता मातकोडया उम्र–20 वर्ष, साकिन–इंदिरा नगर सेक्टर–05 बालको नगर, थाना बालको नगर कि रिपोर्ट पर दिनांक 24.04.2022 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, विवेचना दौरान दिनांक 07.05.2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र क्रमांक 218/2022 दिनांक 24.05.2022 को तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जिसका केश नंबर 1197/2022 दिनांक 15.06.2022 है, मामला न्यायालय विचाराधीन है।

(11) **अपराध क्रमांक 280/2022 धारा–294, 323, 34 भादवि**– प्रार्थी वी. भावना पिता मातकोडया उम्र–20 वर्ष, साकिन–इंदिरा नगर सेक्टर–05 बालको नगर, थाना बालको नगर कि रिपोर्ट पर दिनांक 06.05.2022 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, विवेचना दौरान दिनांक 28.5.2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जिसका केश नंबर 1999/2022 दिनांक 22.09.2022 है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(12) **अपराध क्रमांक 458/2023 धारा–452, 294, 506, 323, 34 भादवि**– प्रार्थी उमा देवांगन पति गणेश देवांगन उम्र–33 वर्ष साकिन–परसाभांठा बालको

क्रमशः–05

नगर, थाना बालको नगर कि रिपोर्ट पर दिनांक 01.09.2023 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, विवेचना दौरान दिनांक 03.09.2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जिसका केश नंबर 2213/2023 दिनांक 04.10.2023 है, मामला न्यायालय विचाराधीन है।

(13) **अपराध क्रमांक 40/2024 धारा–34(2) आबकारी एक्ट**– प्रार्थी शासन की ओर से सउनि धनंजय जाटवर थाना बालको नगर की ओर दिनांक 27.01.2024 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की कार्यवाही में लिया गया, विवेचना दौरान दिनांक 27.01.2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया है, प्रकरण विचाराधीन है।

(14) इस्तगाशा क्रमांक 17/2014 धारा–109 जाफौ।
(15) इस्तगाशा क्रमांक 45/2014 धारा–151 जाफौ।
(16) इस्तगाशा क्रमांक 69/2015 धारा–151 जाफौ।
(17) इस्तगाशा क्रमांक 749/2018 धारा–107,116(3) जाफौ।
(18) इस्तगाशा क्रमांक 153/2022 धारा–107, 116 जाफौ।
(19) इस्तगाशा क्रमांक 14/2022 धारा–151 जाफौ।
(20) इस्तगाशा क्रमांक 96/2022 धारा–107, 116 जाफौ।
(21) इस्तगाशा क्रमांक 54/2022।
(22) इस्तगाशा क्रमांक 01/2023 धारा–110 जाफौ।

(4) प्रकरण में अनावेदक श्री किशन दिनकर पिता रामचरण दिनकर, उम्र–26 वर्ष साकिन–परसाभांठा वार्ड नंबर–41 बालको, थाना बालको नगर, जिला–कोरबा (छ0ग0) को छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–08 में निहित प्रावधानों के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसके विरूद्ध में अनावेदक सहित अधिवक्ता श्रीमती जय वर्षा साहू द्वारा निम्नानुसार से बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया है :–

(1) यह कि थाना बालको द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अनावेदक के विरुद्ध थाना बालकोनगर के द्वारा दर्शाये गये प्रकरणों के संबंध में कथन है कि:–

1. यह कि बालको थाना द्वारा अपराध विवरण प्रतिवेदन की कंडिका 01 से लेकर कंडिका 09 तक वर्णित समस्त अपराध को प्रतिवेदन में मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है जबकि उक्त सभी प्रकरण सन् 2014 से लेकर सन् 2021 तक के पुराने मामले है जो कि न्यायालय के द्वारा निराकृत किया जा चुका है अनावेदक उक्त किसी भी मामले में दोष सिद्ध नहीं पाया गया है।

क्रमशः–06

2. यह कि अपराध विवरण प्रतिवेदन की कंडिका 10 में लिखित अपराध क्रमांक 258/2022 धारा 294, 323, 34 आई.पी.सी. वर्तमान में न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के समक्ष आरोप हेतु दिनांक 25.04.2024 को नियत है।
3. यह कि अपराध विवरण प्रतिवेदन की कंडिका 11 में लिखित अपराध क्रमांक 280/2022 धारा 294, 323, 34 आई.पी.सी. वर्तमान में न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के समक्ष आरोप हेतु दिनाक 12.07.2024 को नियत है।
4. यह कि अपराध विवरण प्रतिवेदन की कंडिका 12 में लिखित अपराध क्रमांक 458/2023 धारा 452, 294,506, 323, 34 आई.पी.सी. वर्तमान में न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के समक्ष आरोप हेतु दिनाक 15.05.2024 को नियत है।
5. यह कि अपराध विवरण प्रतिवेदन की कंडिका 13 में लिखित अपराध क्रमांक 40/2024 धारा–34(2) में न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के समक्ष आरोप हेतु दिनाक 12.04.2024 को नियत है। उक्त प्रकरण में अनावेदक जिला जेल कोरबा में निरूद्ध है।

थाना बालकोनगर के द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत प्रतिवेदन के प्रकरण 258/2022, 280/2022, 458/2023, 40/2024 न्यायालय में लंबित है किसी भी प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं किया गया है वास्तविकता यह है कि अनावेदक निर्दोष है उसे मामलो में झूठा फंसाया गया है।

(2) यह कि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही विवरण प्रतिवेदन की कंडिका 01 से लेकर कंडिका 09 तक लिखित समस्त इस्तगासा समाप्त हो चुके है। उक्त प्रतिबंधित कार्यवाही शांति भग होने के अंदेशा के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। अनावेदक द्वारा कभी भी शांति भंग करने का कृत्य नहीं किया गया है।

विशेष कथन :– अनावेदक परसाभाठा वार्ड क्रमांक–41 का स्थानीय निवासी है, वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है उसके द्वारा पैसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जिससे समाज के बीच में स्वछंद विचरण करने से किसी का हित प्रभावित होता हो यदि उसके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की जाती है तो अनावेदक तथा उसके परिवार को अपूर्णीय क्षति होगी। वह अपने परिवार का एकमात्र कर्ता सदस्य है जिला बदर की कार्यवाही करने से उसके परिवार वालो को आर्थिक संकटो का सामना करना पड़ेगा और भूखें मरने की नौबत आ सकती है। अतः उपरोक्तानुसार जवाब स्वीकार कर न्यायहित में अनावेदक के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

क्रमशः–07

(5) प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य श्री ए0के0 सिंह, निरीक्षक, थाना प्रभारी, थाना बालको नगर, जिला–कोरबा (छ0ग0) दिनांक 08/04/2024 को उपस्थित होकर अपना शपथ पूर्वक बयान में बताया गया कि –"अनावेदक किशन दिनकर पिता रामचरण दिनकर, थाना बालको क्षेत्र में निवासरत् है। तत्कालीन थाना प्रभारी के द्वारा अनावेदक के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक कोरबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक पूर्व में बालको प्लांट में रोजी मजदूरी का काम करता था, अनावेदक शराब पीना, गांजा पीना, मारपीट, जुआ जैसे अपराध में संलिप्त रहा है। अनावेदक वर्ष 2014 से लगातार अपराधिक गतिविधियों मे शामिल रहा है। अनावेदक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 59/2014 धारा–294, 323, 506 भादवि, अपराध क्रमांक 78/16 धारा–324,34 भादवि, अपराध क्रमांक 186/16 धारा–457, 380, 34 भादवि, अपराध क्रमांक 322/16 धारा–452, 354, 294, 323, 506 भादवि, अपराध क्रमांक 219/17 धारा– 363, 366, 376 भादवि 4 पास्को एक्ट, अपराध क्रमांक 146/17 धारा–294, 323, 34 भादवि, अपराध क्रमांक 05/19 धारा–394 भादवि, अपराध क्रमांक 313/2021 धारा–4क जुआ एक्ट, अपराध क्रमांक 512/21 धारा–294, 323, 34 भादवि, अपराध क्रमांक 258/22 धारा–294, 323, 34 भादवि, अपराध क्रमांक 280/22 धारा–294, 323, 34 भादवि, अपराध क्रमांक 458/2023 धारा–452, 294,506,323,34 भादवि, अपराध क्रमांक 40/2024 धारा–34(2) आबकारी एक्ट एवं इस्तगाशा क्रमांक 17/14 धारा–109 जाफौ, इस्तगाशा क्रमांक 45/14 धारा–151 जाफौ, इस्तगाशा क्रमांक 69/15 धारा–151 जाफौ, इस्तगाशा क्रमांक 749/18 धारा–107, 116(3) जाफौ, इस्तगाशा क्रमांक 153/22 धारा–107, 116 जाफौ, इस्तगाशा क्रमांक 14/22 धारा–151 जाफौ, इस्तगाशा क्रमांक 96/22 धारा–107, 116 इस्तगाशा क्रमांक 54/22, इस्तगाशा क्रमांक 01/2023 धारा–110 जाफौ के तहत् प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। इसके पश्चात् भी अनावेदक के अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ है। अनावेदक के आतंक से समाज भय व्याप्त है। समाज में शांति व्यवस्था एवं वर्तमान में लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये अनावेदक के विरूद्ध छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 के तहत् कार्यवाही किया जाना उचित होगा।"

(6) प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता श्रीमती जयवर्षा साहू के द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निम्नानुसार है :–

(1) यह कि थाना बालको द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अनावेदक के विरुद्ध थाना बालकोनगर के द्वारा दर्शाये गये प्रकरणों के संबंध में कथन है कि:–

1. यह कि बालको थाना द्वारा अपराध विवरण प्रतिवेदन की कंडिका 01 से लेकर कंडिका 09 तक वर्णित समस्त अपराध को प्रतिवेदन में मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है जबकि उक्त सभी प्रकरण सन्

क्रमशः–08

2014 से लेकर सन् 2021 तक के पुराने मामले है जो कि न्यायालय के द्वारा निराकृत किया जा चुका है अनावेदक उक्त किसी भी मामले में दोष सिद्ध नहीं पाया गया है।

2. यह कि अपराध विवरण प्रतिवेदन की कंडिका 10 में लिखित अपराध क्रमांक 258/2022 धारा 294, 323, 34 आई.पी.सी. वर्तमान में न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के समक्ष आरोप हेतु दिनांक 25/04/2024 को नियत है।
3. यह कि अपराध विवरण प्रतिवेदन की कंडिका 11 में लिखित अपराध क्रमांक 280/2022 धारा 294, 323, 34 आई.पी.सी. वर्तमान में न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के समक्ष आरोप हेतु दिनाक 12/07/2024 को नियत है।
4. यह कि अपराध विवरण प्रतिवेदन की कंडिका 12 में लिखित अपराध क्रमांक 458/2023 घारा 452, 294,506, 323, 34 आई.पी.सी. वर्तमान में न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के समक्ष आरोप हेतु दिनाक 15/05/2024 को नियत है।
5. यह कि अपराध विवरण प्रतिवेदन की कंडिका 13 में लिखित अपराध क्रमांक 40/2024 धारा–34(2) में न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के समक्ष आरोप हेतु दिनाक 12/04/2024 को नियत है। उक्त प्रकरण में अनावेदक जिला जेल कोरबा में निरूद्ध है।

थाना बालकोनगर के द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत प्रतिवेदन के प्रकरण 258/2022, 280/2022, 458/2023, 40/2024 न्यायालय में लंबित है किसी भी प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं किया गया है वास्तविकता यह है कि अनावेदक निर्दोष है उसे मामलो में झूठा फंसाया गया है।

(2) यह कि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही विवरण प्रतिवेदन की कंडिका 01 से लेकर कंडिका 09 तक लिखित समस्त इस्तगासा समाप्त हो चुके है। उक्त प्रतिबंधित कार्यवाही शांति भग होने के अंदेशा के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। अनावेदक द्वारा कभी भी शांति भंग करने का कृत्य नहीं किया गया है।

(3) यह कि अनावेदक परसाभाठा वार्ड क्रमांक–41 का स्थानीय निवासी है, वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है उसके द्वारा पैसा कोई कृत्य नहीं किया गया है जिससे समाज के बीच में स्वछंद विचरण करने से किसी का हित प्रभावित होता हो यदि उसके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की जाती है तो अनावेदक तथा उसके परिवार को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः उपरोक्तानुसार जवाब स्वीकार कर न्यायहित में अनावेदक के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

(7) प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जिला–कोरबा (छ0ग0) के प्रतिवेदन व संलग्न दस्तावेजों एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब/तर्क तथा थाना प्रभारी, थाना बालको नगर का अभियोजन साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक श्री किशन दिनकर पिता रामचरण दिनकर, उम्र–26 वर्ष, साकिन–परसाभांठा, वार्ड नंबर–41 बालको, थाना बालको नगर, जिला–कोरबा (छ0ग0) शराब पीना, गांजा पीना, मारपीट, जुआ, शराब बिक्री, पास्को एक्ट जैसे मामलों में संलिप्त रहा है, अनावेदक के विरूद्ध 13 अपराधिक एवं 09 प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज है।

अनावेदक उक्त अपराध कारित करने के फलस्वरूप अनावेदक के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी अपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आया है, इसके क्रियाकलाप में भी कोई सुधार नहीं आ रहा है। आम लोग इसके विरूद्ध अपराध दर्ज कराने से कतराते है, जिससे समाज में इसका काफी आतंक व भय बना हुआ है, अनावेदक लगातार अपराध घटित कर आतंक फैला रहा है, जिसके कारण राज्य सुरक्षा व लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। अनावेदक लगातार शराब पीना, गांजा पीना, मारपीट, जुआ, शराब बिक्री, पास्को एक्ट का अपराध घटित करते आ रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में भय का माहौल ब्याप्त है, जो इस प्रकार से अनावेदक के अपराधिक गतिविधि में किसी प्रकार से सुधार नहीं होना परिलक्षित होता है।

अनावेदक के लगातार अपराधिक गतिवधियों में सम्मिलित रहने से आम जनता को हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक श्री किशन दिनकर पिता रामचरण दिनकर, उम्र–26 वर्ष, साकिन–परसाभांठा, वार्ड नंबर–41 बालको, थाना बालको नगर, जिला–कोरबा (छ0ग0) के अपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–5(ख) के तहत् किसी अपराध के करने में या ऐसी किसी अपराध के दुष्प्रेरणा में संलग्न है या संलग्न होने को आमदा है, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध साक्षीगण अपने शरीर या सम्पति की सुरक्षा के बारे में उसकी ओर से आशंका होने के कारण, खुले आम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए रजामन्द नहीं है। ऐसी स्थिति में अनावेदक के लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने से आम जनता को हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–3,5 के तहत् कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार है।

क्रमशः–10

अतः **मैं अजीत वसंत, जिला दण्डाधिकारी, जिला–कोरबा (छ0ग0),** छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा–3 एवं 5 के प्रावधानों के तहत् यह आदेश देता हूँ कि अनावेदक श्री किशन दिनकर पिता रामचरण दिनकर, उम्र–26 वर्ष, साकिन–परसाभांठा, वार्ड नंबर–41 बालको, थाना बालको नगर, जिला–कोरबा (छ0ग0) को **आगामी 01(एक) वर्ष** के लिए जिला कोरबा एवं समीपवर्ती जिला क्रमशः बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, गौरेला–पेण्ड्रा– मरवाही जिलों की राजस्व सीमाओं से आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर बाहर चले (जिला बदर) जावे। अनावेदक इस न्यायालय की पुर्वानुमति प्राप्त किये बिना उपरोक्त जिलों की सीमाओं में इस आदेश के तामील होने के 01 (एक) वर्ष की अवधि तक किसी भी दशा में प्रवेश नही करेंगा। अनावेदक द्वारा उक्त आदेश का पालन न करने पर उसे बलपूर्वक उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जावे। यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन किया जावेगा, तो उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज **दिनांक 14/11/2024** को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

14/11/24

जिला–दण्डाधिकारी
कोरबा (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छत्तीसगढ़)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोरबा छत्तीसगढ़